RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति
अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 193
दि. 17.04.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

परिसीमन का पंगा: महिला आरक्षण पर सहमति लेकिन नई सियासी रेखाएं खींचता विवाद

नई दिल्ली। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर देश की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां सहमति और असहमति दोनों साथ-साथ चल रही हैं। एक तरफ जहां लगभग सभी राजनीतिक दल महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के सिद्धांत पर सहमत नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर इस आरक्षण को परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ने को लेकर गंभीर मतभेद उभरकर सामने आए हैं। यही कारण है कि संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में यह विषय भारतीय राजनीति के केंद्र में बना रहेगा।

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने इस विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए सभी दलों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महिला आरक्षण को राजनीति के तराजू पर तौलना उचित नहीं है और यह देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। प्रधानमंत्री ने यह भरोसा भी दिलाया कि परिसीमन के कारण किसी भी राज्य के साथ अन्याय या भेदभाव नहीं होगा। उनके अनुसार, यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और न्यायसंगत होगी, जिसमें देश के सभी क्षेत्रों—उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम—को समान महत्व दिया जाएगा। हालांकि उनके इस आश्वासन के बावजूद विपक्ष की आशंकाएं कम होती नजर नहीं आ रही हैं।

कांग्रेस की ओर से Priyanka Gandhi ने इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना एक सोची-समझी रणनीति हो सकती है, जिसका असर देश की लोकतांत्रिक संरचना पर पड़ सकता है। उन्होंने यह तक कह दिया कि यदि यह विधेयक मौजूदा स्वरूप में पारित होता है, तो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर आंच आ सकती है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह महिलाओं के अधिकारों का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है और इस प्रक्रिया में वास्तविक सशक्तिकरण कहीं पीछे छूट सकता है।

इसी क्रम में उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने की पहल कांग्रेस सरकारों के समय शुरू हुई थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पी.वी. नरसिंह राव के दौर का उल्लेख करते हुए कहा कि पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता कांग्रेस ने ही तैयार किया था। उनके अनुसार, आज लाखों महिलाएं स्थानीय शासन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जो उस नीति का परिणाम है। ऐसे में वर्तमान सरकार का यह दावा कि वह पहली बार महिलाओं को सशक्त बना रही है, अधूरा सच है।

वहीं गृह मंत्री Amit Shah ने विपक्ष की आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें भ्रम और राजनीतिक प्रचार करार दिया है। उन्होंने विस्तार से आंकड़े पेश करते हुए बताया कि परिसीमन के बाद सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में समानुपातिक वृद्धि होगी और इससे किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों को लेकर उठाई जा रही चिंताओं का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इन राज्यों की सीटें भी बढ़ेंगी और उनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत में भी मामूली वृद्धि देखने को मिलेगी। शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि 50 प्रतिशत सीट बढ़ाने का निर्णय महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लिया गया है, न कि किसी राजनीतिक लाभ के लिए।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष Akhilesh Yadav ने भी इस मुद्दे पर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह इस बात का विरोध कर रही है कि इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक चालबाजी के रूप में किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह मांग भी उठाई कि महिला आरक्षण के भीतर पिछड़े वर्गों और मुस्लिम महिलाओं को भी समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ताकि यह व्यवस्था वास्तव में समावेशी बन सके। उनके अनुसार, यदि आरक्षण केवल एक वर्ग तक सीमित रह जाता है, तो यह सामाजिक न्याय के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा।

इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि जहां एक ओर सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वहीं विपक्ष इसे लोकतांत्रिक संतुलन के लिए संभावित खतरे के रूप में देख रहा है। यही द्वंद्व इस बहस को और अधिक जटिल बना रहा है। संसद के भीतर हो रही चर्चा में भी यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है और दोनों ही अपने-अपने तर्कों के साथ मजबूती से खड़े हैं।

परिसीमन का मुद्दा अपने आप में बेहद संवेदनशील रहा है, क्योंकि यह सीधे-सीधे राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता संतुलन से जुड़ा होता है। ऐसे में जब इसे महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषय के साथ जोड़ा जाता है, तो स्वाभाविक रूप से इसकी जटिलता बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और व्यापक सहमति के साथ लागू नहीं किया गया, तो यह भविष्य में राजनीतिक अस्थिरता का कारण भी बन सकता है।

फिलहाल स्थिति यह है कि महिला आरक्षण को लेकर एक व्यापक सहमति होने के बावजूद परिसीमन का सवाल उस पर भारी पड़ता दिख रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार विपक्ष की चिंताओं को दूर करने में सफल हो पाती है या यह मुद्दा और अधिक गहराता जाता है। इतना तय है कि यह बहस केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश की राजनीति और समाज दोनों पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

आत्मनिर्भर रक्षा की उड़ान: भारत में बनेंगे आधुनिक जेट इंजन, बदलेगा शक्ति संतुलन

नई दिल्ली। भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई देने वाला एक ऐतिहासिक कदम अब वास्तविकता के करीब पहुंचता दिख रहा है। GE Aerospace और Hindustan Aeronautics Limited के बीच F414 जेट इंजन के संयुक्त निर्माण को लेकर बनी सहमति केवल एक तकनीकी समझौता नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा तंत्र की दिशा में एक निर्णायक मोड़ है। लगभग तीन वर्षों की लंबी बातचीत और रणनीतिक विचार-विमर्श के बाद यह समझौता अब उत्पादन के चरण में प्रवेश करने जा रहा है, जिससे भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो सकता है, जो अत्याधुनिक लड़ाकू विमान इंजन बनाने में सक्षम हैं।

यह समझौता कई मायनों में विशेष है, क्योंकि इसमें केवल निर्माण ही नहीं बल्कि उन्नत तकनीक का हस्तांतरण भी शामिल है। अब तक जेट इंजन तकनीक दुनिया की सबसे संवेदनशील और सीमित रूप से साझा की जाने वाली रक्षा तकनीकों में गिनी जाती रही है। ऐसे में अमेरिका द्वारा भारत को यह तकनीक देना दोनों देशों के बीच गहराते रणनीतिक विश्वास और साझेदारी का स्पष्ट संकेत है। इस कदम से भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में न केवल वृद्धि होगी, बल्कि भविष्य में स्वदेशी तकनीक के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत इस डील को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल आयात पर निर्भरता कम करना नहीं, बल्कि भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना भी है। लंबे समय से भारत अपने लड़ाकू विमानों के इंजन के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहा है, जिससे रणनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर चुनौतियां सामने आती रही हैं। लेकिन इस समझौते के बाद स्थिति में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। इन इंजनों का उपयोग विशेष रूप से HAL Tejas Mk2 जैसे अगली पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। भारत की योजना है कि 120 से 130 ऐसे विमानों का निर्माण किया जाए, जिनमें ये अत्याधुनिक इंजन लगाए जाएंगे। इससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता और ऑपरेशनल दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही, यह कदम देश के रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को भी गति देगा। F414 इंजन की बात करें तो यह पहले से ही अमेरिकी नौसेना के कई उन्नत लड़ाकू विमानों में उपयोग किया जा चुका है और इसे विश्वसनीयता और प्रदर्शन के मामले में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। इसकी खासियत इसकी उच्च थ्रस्ट क्षमता, बेहतर ईंधन दक्षता और कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर प्रदर्शन है। यही कारण है कि इसे 'बैटल-टेस्टेड' यानी युद्ध में परखा हुआ इंजन कहा जाता है। भारत में इसके निर्माण से न केवल तकनीकी दक्षता बढ़ेगी, बल्कि घरेलू उद्योगों और सप्लाई चेन को भी मजबूती मिलेगी। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक पहलू भी है। Joe Biden प्रशासन ने 2023 में इस डील को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना और चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देना भी है। भारत और अमेरिका के बीच यह सहयोग केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है, जिसमें सुरक्षा, व्यापार और तकनीक जैसे कई आयाम शामिल हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत के लिए 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है। इससे न केवल देश की सैन्य ताकत बढ़ेगी, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की स्थिति भी मजबूत होगी। भविष्य में भारत अन्य देशों को भी रक्षा उपकरणों का निर्यात करने की स्थिति में आ सकता है, जिससे आर्थिक लाभ के साथ-साथ कूटनीतिक प्रभाव भी बढ़ेगा।

हालांकि, इस परियोजना के सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी। तकनीक का प्रभावी हस्तांतरण, उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखना और समयसीमा के भीतर लक्ष्य हासिल करना जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन यदि इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जाता है, तो यह पहल भारत के रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकती है।

कुल मिलाकर, यह समझौता केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता के संकल्प, तकनीकी उन्नति और वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में एक मजबूत कदम है। आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव न केवल भारत की सैन्य क्षमता पर पड़ेगा, बल्कि यह देश की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को भी नई मजबूती प्रदान करेगा।

होर्मुज पर बढ़ता तनाव: ईरान की कड़ी चेतावनी, वैश्विक चिंता गहराई

तेहरान। मध्य-पूर्व में एक बार फिर तनाव अपने चरम की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, जहां Iran और United States के बीच टकराव की आशंका ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चिंतित कर दिया है। अमेरिकी नाकेबंदी की संभावनाओं के बीच ईरान ने सख्त तेवर अपनाते हुए खुली चेतावनी दी है कि यदि उसके खिलाफ कोई आक्रामक कदम उठाया गया, तो वह उसका जवाब निर्णायक और आक्रामक तरीके से देगा। इस बयान ने न केवल खाड़ी क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया में सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी Mohsen Rezaee ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि अमेरिका रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण Strait of Hormuz में नाकेबंदी करने की कोशिश करता है, तो ईरान अमेरिकी युद्धपोतों को समुद्र में डुबोने में देर नहीं करेगा। उनका यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि क्षेत्र में संभावित सैन्य टकराव की गंभीरता को भी दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की मिसाइल और रक्षा क्षमता इतनी उन्नत हो चुकी है कि किसी भी बाहरी हमले का जवाब तुरंत और प्रभावी ढंग से दिया जा सकता है।

यह पहली बार नहीं है जब होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर इस तरह का तनाव सामने आया है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक यह जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र माना जाता है। यहां से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर किसी भी प्रकार का असर सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित करता है। ऐसे में ईरान की ओर से दी गई यह चेतावनी केवल सैन्य स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव भी दूरगामी हो सकते हैं।

ईरानी अधिकारी ने अपने बयान में यह भी कहा कि यदि अमेरिका जमीनी स्तर पर हमला करता है, तो ईरान उसके हजारों सैनिकों को बंदी बना सकता है। उन्होंने यह दावा भी किया कि हर बंदी सैनिक के बदले भारी कीमत वसूली जाएगी, जो इस बात का संकेत है कि ईरान किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। इस तरह के बयान न केवल दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाते हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार के मुद्दों को भी चर्चा के केंद्र में ले आते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी अक्सर रणनीतिक दबाव बनाने के लिए की जाती है, लेकिन इसका असर वास्तविक स्थिति पर भी पड़ता है। खाड़ी क्षेत्र में पहले से ही कई देशों की सैन्य मौजूदगी है और किसी भी छोटी घटना के बड़े संघर्ष में बदलने की आशंका हमेशा बनी रहती है। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता यह टकराव वैश्विक शांति के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा प्रभाव वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। भारत जैसे देशों के लिए, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं, यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक हो सकती है।

कूटनीतिक स्तर पर भी इस स्थिति को संभालना आसान नहीं होगा। जहां एक ओर अमेरिका अपनी रणनीतिक नीतियों के तहत क्षेत्र में दबाव बनाए रखना चाहता है, वहीं ईरान अपने संप्रभु अधिकारों और क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच संवाद और संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह तनाव केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर यह किसी बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं की भूमिका भी इस समय महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वे ही इस तरह के संकट में मध्यस्थता कर सकते हैं। फिलहाल यह स्पष्ट है कि होर्मुज जलडमरूमध्य केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक संवेदनशील केंद्र बन चुका है। ईरान की चेतावनी ने इस संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी।

किरायेदारी कानून में बड़ा मोड़: हिस्सेदारी खरीदते ही किरायेदार से सह-स्वामी बनने का अधिकार

मुंबई। महाराष्ट्र में लंबे समय से चले आ रहे किरायेदारी विवादों के बीच Bombay High Court का एक अहम फैसला सामने आया है, जिसने हजारों किरायेदारों के अधिकारों को नई मजबूती दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई किरायेदार उस संपत्ति में, जिसमें वह रह रहा है, कानूनी रूप से हिस्सा खरीद लेता है, तो उसे केवल किरायेदार मानकर बेदखल नहीं किया जा सकता। यह निर्णय न केवल एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि पूरे राज्य में किरायेदारी कानूनों की व्याख्या को भी एक नई दिशा देता है।

यह मामला दक्षिण मुंबई की एक पुरानी और बहु-मालिकाना संपत्ति से जुड़ा था, जहां एक व्यक्ति वर्षों से किरायेदार के रूप में निवास कर रहा था। समय के साथ उसने संपत्ति के एक मूल मालिक के साथ समझौता कर उसका हिस्सा खरीद लिया। इस खरीद के बाद उसकी स्थिति केवल किरायेदार की नहीं रही, बल्कि वह उस संपत्ति का आंशिक मालिक बन गया। हालांकि, अन्य सह-मालिकों ने इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया और उसे बेदखल करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामला निचली अदालतों से होता हुआ अंततः हाईकोर्ट पहुंचा, जहां इस पर व्यापक सुनवाई हुई।

इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति Rajesh Patil की एकल पीठ ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि जैसे ही कोई किरायेदार संपत्ति में स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसका किरायेदार का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है। वह व्यक्ति अब सह-स्वामी (को-ओनर) के रूप में मान्य होगा और उसे उसी संपत्ति से अन्य मालिकों द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि सह-स्वामी के अधिकार समान होते हैं और उसे संपत्ति में रहने और उपयोग करने का पूरा अधिकार है। हाईकोर्ट ने इस दौरान निचली अपीलीय अदालत द्वारा दिए गए बेदखली आदेश को भी रद्द कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि निचली अदालत ने इस मामले के कानूनी पहलुओं को सही ढंग से नहीं समझा और किरायेदार के स्वामित्व अधिकारों को नजरअंदाज कर दिया। हाईकोर्ट के इस हस्तक्षेप ने यह संदेश दिया कि जब भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उच्च न्यायालय उसकी रक्षा के लिए आगे आता है।

कानूनी विशेषज्ञ इस फैसले को 'को-ओनर शील्ड' के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि यह निर्णय विशेष रूप से उन शहरों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां 'पगड़ी सिस्टम' जैसे पारंपरिक किरायेदारी मॉडल आज भी प्रचलित हैं। मुंबई जैसे महानगर में हजारों लोग दशकों से किरायेदार के रूप में रह रहे हैं और कई मामलों में उन्होंने संपत्ति के हिस्से भी खरीदे हैं। ऐसे में यह फैसला उन्हें एक मजबूत कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

इस निर्णय का प्रभाव केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सामाजिक और आर्थिक असर भी देखने को मिलेगा। अब किरायेदारों के लिए यह एक अवसर बन सकता है कि वे संपत्ति में हिस्सा खरीदकर अपने निवास को स्थायी बना सकें। इससे न केवल उनकी सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि संपत्ति के मूल्य और बाजार में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

हालांकि, इस फैसले के साथ कुछ जटिलताएं भी जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए, सह-स्वामित्व की स्थिति में संपत्ति के उपयोग, रखरखाव और भविष्य में बिक्री जैसे मुद्दों पर सहमति बनाना आवश्यक होगा। यदि सह-मालिकों के बीच मतभेद होते हैं, तो यह नए प्रकार के विवादों को जन्म दे सकता है। इसलिए कानूनी विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस तरह के मामलों में स्पष्ट समझौते और दस्तावेजी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

फिर भी, यह कहना गलत नहीं होगा कि हाईकोर्ट का यह फैसला किरायेदारों के अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जो वर्षों से अपने ही घर में असुरक्षा की भावना के साथ रह रहे थे। अब कानून ने उन्हें यह भरोसा दिया है कि यदि वे संपत्ति में वैध रूप से हिस्सा हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता।

कुल मिलाकर, यह निर्णय न्यायिक प्रणाली की उस संवेदनशीलता को दर्शाता है, जो समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। आने वाले समय में यह फैसला कई अन्य मामलों के लिए मिसाल बनेगा और किरायेदारी कानूनों की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में देखा जाएगा।

संपादकीय

खाड़ी संघर्ष के असर से बढ़ी महंगाई की मार

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की पश्चिम एशिया युद्ध से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करने वाली रिपोर्ट के निष्कर्ष चिंता बढ़ाने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि खाड़ी में ईरान-अमेरिकी युद्ध से उपजी परिस्थितियों के चलते भारत में और 25 लाख लोग गरीबी की दलदल में फंस सकते हैं। साथ ही मानव विकास की प्रगति में कुछ कमी आने की आशंका पैदा हो गई है। रिपोर्ट इस बात का भी खुलासा करती है कि पश्चिम एशिया में सैन्य गतिविधियों में वृद्धि से एशिया प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट बताती है कि ईंधन, मालभाड़ा और कच्चे माल की लागत बढ़ने से लोगों की घरेलू क्रयशक्ति घट रही है, जिससे खाद्य असुरक्षा भी बढ़ रही है। वहीं विकास कार्यों के लिए निर्धारित सरकारी बजट पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा आजीविका के अवसर कम हो रहे हैं। इस संकट में जहां पूरे विश्व में 88 लाख लोगों के गरीबी की चपेट में आने की आशंका है, वहीं भारत में यह अनुमानित संख्या 25 लाख है। रिपोर्ट में पश्चिम एशिया में तनाव के चलते एशिया-प्रशांत में तकरीबन 299 अरब डॉलर तक का नुकसान होने की आशंका है। हालांकि, भारत की बड़ी आबादी के सामने बढ़ने वाली गरीबों की संख्या छोटी है, लेकिन इससे भारत में गरीबी की दर बढ़ सकती है, जिसके 35.40 करोड़ होने की आशंका है। दरअसल, आज भी भारत करीब 90 फीसदी तेल जरूरतों के लिए आयात पर आश्रित है। हम कच्चे तेल का 40 फीसदी से अधिक और रसोई गैस का 90 फीसदी आयात पश्चिम एशिया से करते हैं। साथ ही हम अपने उर्वरकों का 40 फीसदी हिस्सा युद्धग्रस्त पश्चिमी एशिया से आयात करते हैं। एलएनजी की कीमतों में वृद्धि से कोयला आधारित बिजली पर हमारी निर्भरता बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर व्यापार व आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हुई। आशंका है कि संघर्ष से रेमिटेंस में भी कमी आएगी।

निस्संदेह, मालभाड़ा शुल्क, युद्ध जोखिम बीमा, मार्ग परिवर्तन और देरी की वजह से आयातित तेल आदि की कीमतों में वृद्धि हो रही है, जिससे हमारे आयात मूल्य में वृद्धि व निर्यात का नुकसान बढ़ा है। असर हमारी खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। वहीं खाद की आपूर्ति में बाधा का असर खरीफ की फसल पर पड़ने की आशंका है। इस सब के चलते बढ़े दामों का प्रभाव आम आदमी की जेब पर हो रहा है, जिसका रोजगार और आय के मामले में असर बड़ी आबादी पर नजर आ रहा है। हाल ही में नोएडा और मानेसर में श्रमिक असंतोष को इसकी परिणति के रूप में महसूस किया जा सकता है। दरअसल, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। आर्थिक परेशानियों के चलते आम आदमी अब अपने जरूरी खर्चों में कटौती कर रहा है। वजह है उसकी आय के साधन सीमित होना। वहीं निम्न आय वर्ग के लोगों में इससे भरण-पोषण का संकट पैदा हो रहा है। श्रमिक असंतोष के बीच आक्रोश उभरा कि महंगाई के अनुपात में उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही, फलतः जीवनयापन कठिन होता जा रहा है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया कि मार्च में खुदरा महंगाई बढ़कर 3.4 हो गई है, जिसकी वजह पश्चिमी एशिया से उपजा संकट बताया जा रहा है। सवाल यह है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास सिरे क्यों नहीं चढ़ रहे हैं। यदि कदम प्रभावकारी हैं तो फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है। वास्तव में खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि को महंगाई का मुख्य कारण बताया जा रहा है। यद्यपि सरकार की दलील है कि खुदरा महंगाई दर केंद्रीय बैंक की रेड लाइन चार फीसदी से नीचे है। लेकिन वास्तव में स्थिर आय के चलते महंगाई अधिक महसूस की जा रही है। लेकिन लोगों की चिंता यह है कि यदि पश्चिम एशिया संकट का शीघ्र समाधान नहीं निकलता है तो महंगाई की मार असहनीय हो सकती है। यदि समय रहते सरकार की तरफ से ठोस प्रयास किए जाते हैं तो महंगाई पर अंकुश लगाना संभव हो पायेगा।

लेकिन शहरी माओवाद पर कैसे लगे लगाम

> मोदी सरकार के बाद राष्ट्रवादी विचारधारा को उम्मीद थी कि सत्ता केंद्रों और संस्थानों से इस विचारधारा की विदाई हो जाएगी। लेकिन अब भी यह विचारधारा प्रभावी तौर पर उपस्थित है। इस विचारधारा के कतिपय क्रांतिकारियों ने तो अब चोला तक बदल लिया है और मौजूदा सत्ता तंत्र में भागीदार भी बन चुके हैं।

बीते तीस मार्च को गृहमंत्री अमित शाह ने लाल आतंक के रूप में कुख्यात रहे माओवादी और नक्सली आतंकवाद के खात्मे का औपचारिक अंत की घोषणा कर दी है। चाहे माओवाद हो या नक्सलवाद, दोनों ही धाराएं उग्रपंथी वामपंथ से प्रभावित रही हैं। इनका मानना रहा है कि सत्ता बंदूक की नली या बारूद से निकलती है। इसी विचारधारा के तहत इस वैचारिकी ने भारत के तकरीबन एक तिहाई जिलों पर अरसे तक कब्जा जमाए रखा। इस विचारधारा से प्रभावित लाल आतंक एक दौर में पशुपति से लेकर तिरूपति तक फैला हुआ था। लेकिन अब यह निस्तेज हो चुका है। ज्यादातर नक्सली या माओवादी लड़ाके या तो हथियार डाल कर मुख्यधारा की जिंदगी में वापस लौट गए हैं या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए हैं। लेकिन अब भी इस विचारधारा से प्रभावित एक वर्ग बचा हुआ है। जिसका सत्ता के प्रतिष्ठानों पर भले ही प्रभाव ना हो, लेकिन तंत्र पर उसका प्रभाव अब भी है। मार्च 2022 में जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद और कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ने की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म आई थी। 'द कश्मीर फाइल्स' नामक इस फिल्म में एक संवाद है, सत्ता भले ही उनकी है, लेकिन सिस्टम अपना है। इस संवाद में जिस सिस्टम की ओर इशारा है, दरअसल तंत्र पर उसका ही प्रभाव है। कहना न होगा कि यह प्रभावी तबका वैसी ही उग्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है, जिसके बारूदी रूख के अंत का ऐलान गृहमंत्री अमित शाह ने किया है। कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में सक्रिय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिज्ञासु कार्यकर्ताओं ने इसे 'अर्बन नक्सल' कहा था। अर्बन यानी शहरी नक्सल। याद कीजिए, छह अप्रैल 2010 की घटना, जब बस्तर में सीआरपीएफ के 74 जवानों को घेरकर नक्सलियों ने बारूदी सुरंगों के जरिए उड़ाकर मार डाला था। इस लोमहर्षक कार्रवाई भारतीय राष्ट्र राज्य पर अर्बन नक्सल समुदाय ने बड़ी जीत के रूप में देखा था। राजधानी दिल्ली में लाल गढ़ के रूप में विख्यात जवाहर लाल

नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह ने इस कार्रवाई पर खुलेआम खुशियां जताई थीं। तमाम विश्वविद्यालयों के वामपंथी प्रोफेसरों और छात्रों के एक समूह ने इस लोमहर्षक हत्या कांड को भारतीय राज व्यवस्था पर नक्सली जीत के रूप में लिया था। बस्तर की इस घटना के बाद तत्कालीन मनमोहन सरकार सकते में थी। उसने समानांतर सत्ता चला रहे नक्सली और माओवादी आतंकियों पर हवाई कार्रवाई करने का विचार शुरू कर दिया था। लेकिन शहरी इलाकों के वामपंथी बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध शुरू किया। तंत्र में इनकी उपस्थिति कितनी प्रभावी है, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनमोहन सरकार ने नक्सली हिंसा का प्रभावी जवाब देने का विचार त्याग दिया था।

नक्सलवाद कहें या माओवाद या फिर वामपंथ की कोई अन्य धारा, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, पत्रकारिता, स्वयंसेवी संगठनों, वकालत, अस्पतालों, प्रशासनिक व्यवस्था और कर्मचारीतंत्र में भी इनके प्रभावी लोग अब भी मिल जाएंगे। अरूंधती रॉय, हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण जैसे प्रसिद्ध बुद्धिजीवी तो खुद ही मानते हैं कि वे इस विचारधारा से हैं।

तंत्र में इस विचारधारा के प्रभावी होने की शुरूआत 1969 में कांग्रेस के विभाजन से होती है। तब अपनी केंद्रीय सत्ता को बचाने के लिए इंदिरा गांधी को वामपंथी दलों के सहयोग की जरूरत थी। उन्होंने सहयोग किया भी, बदले में शैक्षिक संस्थानों पर उनका प्रभाव बढ़ा। इसकी वजह यह रही कि इंदिरा सरकार ने शोध और शैक्षिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को इन्हीं के हवाले कर दिया। इस विचारधारा ने अपने ही लोगों को इन संस्थानों में खूब भरा।

2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो यह वैचारिकी पहले सकते में रही। बाद में इसने रणनीति और पैंतरा बदला। शुरू में तो इस विचारधारा ने कभी पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में वैचारिकी आधारित आंदोलन छेड़ा तो कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लड़कियों से छेड़खानी के बहाने राष्ट्रवादी विचाराधारा को निशाने पर लेकर आंदोलन चलाया। हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित बेमुला के बहाने राष्ट्रवादी शासन व्यवस्था के दौरान कथित तौर पर दलितों और पिछड़ों के उत्पीड़न का आरोप लगाकर वैचारिक आंदोलन खड़ा किया। दो कृषि कानूनों के बदलाव के विरोध में लंबे समय तक चले किसान आंदोलन को भी इस वैचारिकी का खुला समर्थन रहा। टूल किट गिरोह इसी दौरान बेपर्दा हुए। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर के अल्पसंख्यकों को भड़काने और उन्हें आंदोलन में लाने के पीछे भी यही विचारधारा रही। इन आंदोलनों के लंबे समय तक चलने, इनके लिए लोगों के एकत्रित होने की वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहरी नक्सलियों का कितना बड़ा नेटवर्क है और कितनी गहराई तक उनकी पहुंच है।

मोदी सरकार के बाद राष्ट्रवादी विचारधारा को उम्मीद थी कि सत्ता केंद्रों और संस्थानों से इस विचारधारा की विदाई हो जाएगी। लेकिन अब भी यह विचारधारा प्रभावी तौर पर उपस्थित है। इस विचारधारा के कतिपय क्रांतिकारियों ने तो अब चोला तक बदल लिया है और मौजूदा सत्ता तंत्र में भागीदार भी बन चुके हैं। पत्रकारिता में अब भी इस विचारधारा के लोगों की भारी संख्या है। इसकी वजह से अब भी नैरेटिव का मायाजाल रचने में यह विचारधारा प्रभावी हो जाती है। नागरिक समाज में इस विचारधारा के लोग तभी पहचान में आते हैं, जब वे बहसों में हिस्सा लेते हैं या आंदोलनों में खुली भागीदारी करते हैं। अन्यथा समाज के सभी वर्गों की तरह इनको भी आसानी से सामान्य जन पहचान नहीं पाता। शहरी नक्सलवादियों की एक खासियत यह है कि वे खासा पढ़ते लिखते हैं। इसलिए बहसों में उनकी भागीदारी प्रभावी रहती है। लेकिन भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का माखौल उड़ाना उन्हें सबसे प्रिय है। वैसे भारतीय शैक्षिक संस्थानों में एक सोच गहरे तक पैठी हुई है कि युवावस्था में जो वामपंथी नहीं हुआ, इसका अभिप्राय है कि उसमें कोई न कोई कमी है। इस सोच की बुनियाद और संस्थानों में अपनी प्रभावी उपस्थिति के चलते यह विचारधारा अक्सर युवाओं को प्रभावित कर लेती है। उसके आगोश में आने के बाद युवा भारतीयता, भारतीय मूल्य और सांस्कृतिक परंपराओं का माखौल उड़ाने लगता है, उसे पूजा-पाठ दकियानूसी लगने लगता है। हालांकि अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक कलाप उसे प्रगतिशीलता की निशानी लगने लगते हैं। इस तरह समाज के बीच वे अपनी वैचारिक धारा को बनाए रखने के जतन में जुटे रहते हैं।

जंगलों, खेतों-खलिहानों और आदिवासी इलाकों में खून की होली खेलने, रेल की पटरियां उड़ाने, स्कूलों को उड़ाने वाली खूनी नक्सली और माओवादी विचारधारा के समर्थक और नेतृत्वकर्ता भले ही सुरक्षा बलों की कार्रवाई और समानांतर चलाई गई विकास योजनाओं के चलते खत्म हो गए हों या हथियार डाल दिए हों, लेकिन किताबों, बहसों और नैरेटिव के सहारे लड़ाई चलाने वाले माओवादी और नक्सली अब भी बाकी हैं और तंत्र में प्रभावी मौजूदगी भी रखते हैं। कहा जाता है कि विचारधाराएं कभी नहीं मरतीं। उनके अनुयायियों की संख्या कम-ज्यादा जरूर हो सकती हैं। मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक तंत्र ऐसा नहीं रहा कि हथियार के सहारे क्रांतियां कर ली जाएं और सत्ताएं बदल दी जाएं। ऐसा होता तो अमेरिका पूरी दुनिया पर राज कर रहा होता, क्योंकि उसकी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, उसके पास हथियारों का अकूत भंडार है। अब राजसत्ताओं को बारूद या बंदूक के जरिए नहीं बदला जा सकता। बारूद और बंदूक के सहारे सत्ता बदलने वाला तंत्र इसीलिए पस्त हो गया। लेकिन वैचारिक लड़ाई करने वालों को समानांतर खड़ा मजबूत वैचारिक तंत्र ही मात दे सकता है। दूसरी बात यह है कि वैचारिक तंत्र को जहां से खाद-पानी मिलता है, उस स्रोत को ही खत्म करके वैचारिकी को काबू में किया जा सकता है। वैचारिकी की बुनियाद पर जहर फैलाने वाले लोगों को सामाजिक तौर पर अलग-थलग करना भी इसे रोकने की रणनीति हो सकती है। जब तक ऐसे कदम नहीं उठाए जाएंगे, जंगलों और आदिवासी इलाकों की बंदूकें भले ही शांत हो जाएं, सामाजिक तौर पर वाम वैचारिकी मजबूत उपस्थिति बनाए रखेगी और अगर वह प्रभावी रही तो देर-सवेर किसी और रूप में फिर से लाल आतंक को सिर उठाने के लिए प्रेरित करेगी। इस नजरिए से भी इस समस्या और शहरी माओवाद या नक्सलवाद को भी देखना एवं परखना होगा।

प्रेरणा

मन पर विजय ही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग

प्राचीन रोमन साम्राज्य के इतिहास में Marcus Aurelius का नाम केवल एक सम्राट के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे दार्शनिक और आत्मानुशासन के प्रतीक के रूप में भी लिया जाता है। उनके जीवन की अनेक घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि बाहरी वैभव, शक्ति और अधिकार के बावजूद भी यदि मन अस्थिर है तो व्यक्ति कभी भी सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। यही विचार उस घटना में भी झलकता है जब एक युवा सैनिक अपने मानसिक संघर्षों के साथ उनके पास पहुंचा।

वह सैनिक युद्धभूमि की कठोरता, प्रशासनिक जिम्मेदारियों और भविष्य की अनिश्चितताओं से इतना विचलित था कि उसे भीतर से टूटन महसूस होने लगी थी। उसका मन लगातार भय, आशंका और कल्पनाओं के जाल में उलझा रहता था। उसने सोचा कि एक सम्राट के पास अवश्य ही कोई ऐसा समाधान होगा जो उसे तुरंत शांति प्रदान कर दे। लेकिन जब वह Marcus Aurelius के पास पहुंचा, तो उसे कोई जटिल उपदेश या दार्शनिक भाषण नहीं मिला। इसके बजाय उसे एक अत्यंत सरल किंतु गहरा अभ्यास दिया गया—रात्रि पहरेदारी के दौरान अपने विचारों को बार-बार लिखने का।

शुरुआत में सैनिक को यह कार्य साधारण लगा, बल्कि उसे लगा कि इससे उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा। लेकिन जैसे-जैसे उसने इस अभ्यास को नियमित रूप से करना शुरू किया, उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। जब वह अपने विचारों को कागज पर उतारता, तो उसे स्पष्ट रूप से दिखने लगा कि उसके मन में चल रही अशांति का वास्तविक स्रोत बाहरी परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि उसके अपने विचार थे। वह देख पाया कि उसका अधिकांश भय वास्तविक नहीं था, बल्कि उसकी कल्पनाओं का परिणाम था। भविष्य की चिंताएं, संभावित असफलताओं की आशंकाएं और दूसरों के विचारों को लेकर बनी धारणाएं ही उसकी मानसिक अशांति का कारण थीं।

यह अनुभव उसके लिए एक प्रकार का आत्मबोध बन गया। उसने समझा कि जब तक मन अपने ही विचारों के नियंत्रण में रहता है, तब तक कोई भी बाहरी उपलब्धि या सफलता उसे स्थायी शांति नहीं दे सकती। जब वह पुनः Marcus Aurelius के पास लौटा, तो सम्राट ने उसे बताया कि यही जीवन का मूल सत्य है—बाहरी घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होतीं, लेकिन उन घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे हाथ में होती है।

यह विचार स्टोइक दर्शन का मूल आधार है, जिसमें यह सिखाया जाता है कि व्यक्ति को उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उसके नियंत्रण में हैं, और जो नहीं हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए। Marcus Aurelius स्वयं भी हर दिन इस सिद्धांत का अभ्यास करते थे। वे अपने निजी लेखन में बार-बार यह लिखते थे कि दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है, वह प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है, और उसे बदलने का प्रयास करने के बजाय उसे समझना और स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है।

सैनिक के लिए यह सीख केवल एक बौद्धिक ज्ञान नहीं रही, बल्कि उसके जीवन का हिस्सा बन गई। उसने धीरे-धीरे अपने विचारों को देखने और समझने की क्षमता विकसित की। अब जब भी उसके मन में कोई भय या चिंता उत्पन्न होती, वह उसे तुरंत पहचान लेता और उससे दूरी बना लेता। उसने सीखा कि हर विचार सत्य नहीं होता, और हर भावना वास्तविकता का प्रतिबिंब नहीं होती। इस प्रकार उसने अपने मन के ऊपर अधिकार प्राप्त करना शुरू कर दिया।

मन का स्वभाव ही चंचल होता है। यह लगातार अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं के बीच झूलता रहता है। जब व्यक्ति इस चंचलता को नियंत्रित नहीं कर पाता, तो वह स्वयं ही अपने दुखों का कारण बन जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने मन को देखने और समझने लगता है, तो उसे यह एहसास होता है कि वह अपने विचारों से अलग है। यही बोध उसे आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है।

आधुनिक जीवन में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। आज के समय में भी लोग बाहरी उपलब्धियों, सामाजिक मान्यता और भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए अपने मानसिक संतुलन को खो देते हैं। वे यह मान लेते हैं कि उनकी खुशी और शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी दुनिया कभी भी पूरी तरह स्थिर या अनुकूल नहीं हो सकती। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और यदि व्यक्ति अपनी शांति को उनसे जोड़ देता है, तो वह हमेशा अस्थिर बना रहेगा।

इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर झांके और अपने विचारों को समझे। जब वह यह पहचान लेता है कि उसकी अधिकांश चिंताएं उसके अपने मन की उपज हैं, तो वह उनसे मुक्त होने की दिशा में पहला कदम उठा लेता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन यह संभव है। नियमित आत्मनिरीक्षण, ध्यान और विचारों की जागरूकता से व्यक्ति धीरे-धीरे अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। अंततः, सच्ची स्वतंत्रता किसी बाहरी स्थिति या अधिकार से नहीं आती, बल्कि यह भीतर की स्थिति होती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रह सकता है। वह बाहरी दुनिया के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने अपने भीतर एक स्थिरता विकसित कर ली होती है। यही वह स्वतंत्रता है जिसकी ओर Marcus Aurelius ने संकेत किया था, और यही वह मार्ग है जो हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए यदि वह सच्ची शांति और संतोष की तलाश में है।

पर्यावरण के लिए गंभीर चेतावनी बनता डिजिटल प्रदूषण

जब हम 'प्रदूषण' शब्द सुनते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जहरीला धुआं उगलती चिमनियां, प्लास्टिक से पटी नदियां या सड़कों पर लगा कचरे का ढेर उभरता है। ये प्रदूषण के वे रूप हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन इक्कीसवीं सदी की डिजिटल क्रांति के साथ एक ऐसा अदृश्य जहर हमारे वातावरण और जीवन में घुल चुका है, जिसे हम देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, लेकिन वह धीरे-धीरे हमारे पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य को खोखला कर रहा है। इसे हम 'डिजिटल प्रदूषण' कहते हैं। भारत जैसे देश में, जहां डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी चरम पर है और 'डिजिटल इंडिया' का सपना साकार हो रहा है, इस अदृश्य खतरे पर कानून, नीति और जनजागरूकता के नजरिये से चर्चा करना अनिवार्य हो गया है। लोग डिजिटल प्रदूषण को केवल 'ई-वेस्ट' यानी पुराने मोबाइल, टूटे लैपटॉप या खराब चार्जर तक सीमित मान लेते हैं। बेशक, ई-कचरा एक वैश्विक समस्या है, लेकिन डिजिटल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा 'अभौतिक' है। इंटरनेट पर हमारा हर क्लिक, सर्च और क्लाउड स्टोरेज बिजली की भारी खपत करता है, जो अधिकांशतः जीवाश्म ईंधन से आती है और कार्बन उत्सर्जन बढ़ाती है। जब हम डेटा इस्तेमाल करते हैं, तो हजारों मील दूर स्थित विशाल डेटा सेंटर्स सक्रिय हो जाते हैं, जिन्हें चलाने और ठंडा रखने के लिए अत्यधिक ऊर्जा और पानी की आवश्यकता होती है। अतः, डिजिटल गतिविधियों का सीधा और गहरा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है।

डिजिटल प्रदूषण के दो सबसे घातक पहलू 'डार्क डेटा' और 'डिजिटल फुटप्रिंट' हैं। 'डार्क डेटा' वह अनुपयोगी डेटा है जो कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा केवल स्टोर किया जाता है, जिसका दुनिया भर के कॉर्पोरेट डेटा में हिस्सा लगभग 52 प्रतिशत है। यह डेटा केंद्रों में व्यर्थ ऊर्जा की खपत करता है। वहीं, हमारा 'डिजिटल फुटप्रिंट' भी उतना ही खतरनाक है; एक स्पैम ईमेल अपने पूरे जीवनचक्र में लगभग 0.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने का जिम्मेदार है। यदि हम दुनियाभर में प्रतिदिन भेजे जाने वाले अरबों स्पैम और अनावश्यक ईमेल की गणना करें, तो यह प्रदूषण का स्तर वैश्विक विमानन उद्योग द्वारा फैलाए जाने वाले कुल उत्सर्जन के बराबर पहुंच जाता है। यह तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी एक छोटी-सी डिजिटल लापरवाही धरती के तापमान को बढ़ाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है।

भारत में 'डिजिटल प्रदूषण' को सीधे तौर पर परिभाषित करने वाला कोई विशिष्ट या एकल कानून मौजूद नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) और समय-समय पर संशोधित ई-कचरा प्रबंधन नियम (2016/2022) इसके केवल भौतिक हिस्से (हार्डवेयर कचरे) को कवर करते हैं। असली चुनौती डेटा केंद्रों से होने वाले ऊर्जा उत्सर्जन और 'डिजिटल हाइजीन' की है, जिसके लिए वर्तमान में स्पष्ट कानूनी दिशानिर्देशों की कमी खलती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार 'स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार' को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है। यद्यपि ये मामले पारंपरिक औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित थे, लेकिन इनमें स्थापित 'प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करेगा' और 'एहतियाती सिद्धांत' का दर्शन डिजिटल दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। जो कंपनियां विशाल डेटा सेंटर चलाती हैं और करोड़ों भारतीयों का डेटा प्रोसेस करती हैं, वे डेटा की सुरक्षा के साथ-साथ अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकतीं।

'भारत सरकार द्वारा 'राइट टू रिपेयर' पोर्टल का शुभारंभ एक क्रांतिकारी पहल है। कानूनी और नीतिगत रूप से यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है कि वे अपने गैजेट्स को कंपनियों के एकाधिकार से बाहर निकलकर ठीक करा सकें। यह पहल न केवल कंपनियों की 'प्लांड ऑब्सेसलेंस' (गैजेट्स को जानबूझकर ऐसा बनाना कि वे जल्दी खराब हो जाएं) की नीति पर लगाम लगाएगी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने में भी मील का पत्थर साबित होगी। जब कोई उपकरण लंबा चलेगा, तो उसके निर्माण में लगने वाली ऊर्जा और उसके कचरे से होने वाले प्रदूषण में स्वतः कमी आएगी।'

केवल कानून और अदालती आदेश डिजिटल प्रदूषण का पूर्ण समाधान नहीं हैं; इसके लिए 'डिजिटल स्वच्छता' को जीवनशैली बनाना अनिवार्य है। शुरुआत इनबॉक्स की सफाई, अनावश्यक न्यूज़लेटर्स को अनसब्सक्राइब करने और क्लाउड स्टोरेज से धुंधली तस्वीरों व पुराने बैकअप को हटाकर की जा सकती है। इसके साथ ही, वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान 'अति-उच्च परिभाषा' के बजाय सामान्य स्पष्टता का चुनाव करना डेटा केंद्रों पर दबाव और बिजली की खपत को कम करता है। यह 'डिजिटल क्लीन-अप' न केवल डेटा व्यवस्थित करता है, बल्कि ऊर्जा की बचत कर पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अब सरकार को 'ग्रीन डेटा कानूनों' के माध्यम से टेक कंपनियों को अक्षय ऊर्जा (सौर, पवन) अपनाने और डेटा केंद्रों की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए जवाबदेह बनाना होगा। हमें समझना होगा कि डेटा भले ही आभासी हो, पर उसे चलाने वाली ऊर्जा भौतिक है, जो धरती को प्रभावित करती है। आज समय की मांग है कि हम 'डिजिटल डिटॉक्स' के साथ-साथ 'डिजिटल क्लीन-अप' को अपनाएं।

अभियान

"राधे नाम" का चमत्कार: मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन परिवर्तन का सरल उपाय

आज के समय में मनुष्य बाहरी रूप से जितना विकसित और सफल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही उलझा हुआ और थका हुआ महसूस करता है। जीवन की तेज़ रफ्तार, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, भविष्य की चिंता और रिश्तों की जटिलताएं मन को लगातार दबाव में रखती हैं। यही दबाव धीरे-धीरे तनाव और चिंता का रूप ले लेता है। कई बार यह स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर भी अत्यधिक सोचने लगता है, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। यह ओवरथिंकिंग मन की ऊर्जा को खत्म कर देती है और व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। ऐसे समय में जब कोई उपाय काम नहीं आता, तब भारतीय आध्यात्मिक परंपरा एक ऐसा मार्ग दिखाती है जो सरल भी है और अत्यंत प्रभावी भी—Radha Rani के नाम का जप।

भक्ति परंपरा में नाम जप को सबसे श्रेष्ठ साधना माना गया है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मन को स्थिर और शांत करने की एक गहरी प्रक्रिया है। Radha Rani को प्रेम और करुणा की मूर्ति कहा जाता है। उनका नाम "राधे" स्वयं में एक शक्ति है, जो व्यक्ति के भीतर चल रहे मानसिक संघर्ष को शांत करने की क्षमता रखता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से "राधे राधे" का जप करता है, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जो धीरे-धीरे उसके तनाव और चिंता को कम करने लगती है।

मानव मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। यह सोचने की प्रक्रिया यदि संतुलित हो, तो यह रचनात्मक बनती है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो यह चिंता और भय का कारण बन जाती है। व्यक्ति बार-बार उन्हीं बातों को सोचता रहता है, जो उसे परेशान करती हैं। वह भविष्य की घटनाओं की कल्पना करता है और उन्हें लेकर डरने लगता है। यह डर धीरे-धीरे उसकी मानसिक शांति को नष्ट कर देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति Radha Rani का नाम जपना शुरू करता है, तो उसका मन एक दिशा में केंद्रित होने लगता है।

नाम जप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मन को भटकने से रोकता है। जब व्यक्ति बार-बार "राधे राधे" का उच्चारण करता है, तो उसका ध्यान उसी ध्वनि पर केंद्रित हो जाता है। यह एक प्रकार का ध्यान बन जाता है,

जिसमें मन धीरे-धीरे शांत होने लगता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को वर्तमान क्षण में लाती है, जिससे उसकी चिंता कम होने लगती है। क्योंकि चिंता का संबंध हमेशा भविष्य से होता है, और जब व्यक्ति वर्तमान में जीने लगता है, तो उसकी चिंता अपने आप कम हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, Radha Rani के कई ऐसे नाम हैं, जिनका जप विशेष रूप से मानसिक शांति के लिए लाभकारी माना जाता है। जैसे "राधा", "राधिका", "श्रीजी", "वृंदावनी", "कृष्णप्रिया" आदि। इन नामों का जप करते समय यदि व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्हें दोहराता है, तो उसके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा न केवल उसके मन को शांत करती है, बल्कि उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नाम जप एक प्रकार की साउंड थेरेपी की तरह कार्य करता है। जब हम किसी विशेष ध्वनि को बार-बार दोहराते हैं, तो वह हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। "राधे" शब्द की ध्वनि में एक विशेष कंपन होता है, जो मस्तिष्क को शांत करने में सहायक होता है। यह कंपन हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और हमें मानसिक रूप से स्थिर बनाता है। यही कारण है कि नाम जप करने के बाद व्यक्ति हल्का और शांत महसूस करता है।

इसके साथ ही, नाम जप व्यक्ति को एक भावनात्मक सहारा भी प्रदान करता है। जब व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में होता है, तो उसे लगता है कि वह अकेला है। लेकिन जब वह Radha Rani का नाम लेता है, तो उसे यह अनुभव होता है कि कोई दिव्य शक्ति उसके साथ है। यह भावना उसके भीतर आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को बढ़ाती है। वह अपने डर और चिंताओं का सामना अधिक मजबूती से कर पाता है।

आज के आधुनिक युग में लोग मानसिक शांति पाने के लिए कई प्रकार के उपाय अपनाते हैं—जैसे योग, ध्यान, काउंसलिंग आदि। ये सभी उपाय अपने-अपने स्थान पर प्रभावी हैं, लेकिन नाम जप की विशेषता यह है कि यह अत्यंत सरल है और इसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष ज्ञान या साधन की आवश्यकता नहीं होती। केवल एक सच्चे मन और श्रद्धा की आवश्यकता होती है।

अंततः यह समझना जरूरी है कि मानसिक शांति बाहर से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे भीतर ही होती है। हम अपने विचारों और चिंताओं के कारण इसे खो देते हैं। Radha Rani का नाम उस खोई हुई शांति को पुनः प्राप्त करने का एक माध्यम है। यह हमें हमारे भीतर की स्थिरता और संतुलन से जोड़ता है।

जब व्यक्ति नियमित रूप से "राधे राधे" का जप करता है, तो वह धीरे-धीरे अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है और वह जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने लगता है। यही वह स्थिति है, जहां व्यक्ति सच्चे अर्थों में तनाव और चिंता से मुक्त होकर एक संतुलित और आनंदमय जीवन जी सकता है।

इस प्रकार, Radha Rani का नाम केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और मानसिक उपाय है, जो व्यक्ति को उसके भीतर की शांति, शक्ति और संतुलन से जोड़ता है। जब मन शांत होता है, तो जीवन अपने आप सुंदर और सार्थक बन जाता है, और यही इस साधना का वास्तविक उद्देश्य है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

'मिशन 120' के साथ मैदान में भाजपा, सूरत नगर निगम चुनाव 2026 में विकास और तकनीक पर बड़ा दांव

Surat में नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है और इसी बीच Bharatiya Janata Party ने 'अब की बार 120' के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ अपना संकल्प पत्र जारी कर चुनावी मुकाबले को और रोचक बना दिया है। 'नया सूरत, नई आशा' थीम पर आधारित इस घोषणापत्र में भाजपा ने शहर के समग्र विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी उन्नति और नागरिक सुविधाओं के विस्तार का व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि पार्टी इस चुनाव को केवल स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं, बल्कि भविष्य के सूरत की दिशा तय करने वाले जनादेश के रूप में देख रही है।

घोषणापत्र जारी करते हुए गुजरात सरकार में वित्त मंत्री और सूरत के प्रभारी मंत्री Kanubhai Desai ने कहा कि भाजपा ने पिछले वर्षों में अपने अधिकांश वादों को पूरा कर जनता का विश्वास जीता है और अब उसी विश्वास के आधार पर वह और बड़े लक्ष्य लेकर जनता के बीच आई है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि गुजरात में तेजी से हो रहे शहरीकरण के बीच सूरत ने एक मॉडल शहर के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जहां मेट्रो, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क नेटवर्क और व्यापारिक ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ऐसे में आगामी योजनाएं इस विकास यात्रा को और गति देने का काम करेंगी।

घोषणापत्र की सबसे चर्चित घोषणा केजी से लेकर कॉलेज स्तर तक फ्री शिक्षा का वादा है, जिसे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यदि यह योजना लागू होती है, तो यह न केवल मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए राहत का कारण बनेगी, बल्कि शहर में शिक्षा के स्तर को भी व्यापक रूप से ऊंचा उठाएगी। इसके साथ ही सूरत इकोनॉमिक ज़ोन के विकास का प्रस्ताव शहर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस योजना के तहत

उद्योग, व्यापार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरी विस्तार को ध्यान में रखते हुए बारडोली को सैटेलाइट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना भी इस घोषणापत्र का अहम हिस्सा है। इससे सूरत शहर पर बढ़ते दबाव को कम करने के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में भी संतुलित विकास सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। यह कदम दीर्घकालिक शहरी नियोजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भाजपा ने कई बड़े वादे किए हैं, जिनमें खाड़ी बाढ़ की स्थायी रोकथाम प्रमुख है। सूरत जैसे तटीय शहर में बाढ़ की समस्या लंबे समय से चुनौती बनी हुई है, ऐसे में इसका स्थायी समाधान शहर के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। इसके अलावा डुमस क्षेत्र के विकास की योजना और शहर को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर प्रोजेक्ट्स पर जोर देना पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कचरे से कार्बन-बेस्ड बिजली बनाने की तकनीक लागू करने की योजना शहर को स्वच्छ और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक आधुनिक पहल मानी जा रही है।

शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भी भाजपा ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। म्युनिसिपैलिटी द्वारा हायर एजुकेशन के क्षेत्र में प्रवेश कर नए कॉलेज शुरू करने और उनमें AI, रोबोटिक्स तथा ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे विषयों को शामिल करने की योजना युवाओं को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे सूरत के छात्रों को महानगरों जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी।

ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 'वन सिटी वन कार्ड' योजना को भी घोषणापत्र में शामिल किया गया है। इस कॉमन मोबिलिटी कार्ड के माध्यम से मेट्रो, BRTS और सिटी बसों में एक ही कार्ड से यात्रा संभव होगी, जिससे यात्रियों को सुविधा और समय की बचत दोनों मिलेगी। इसके साथ ही मेट्रो प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने का वादा शहर के यातायात ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में अहम कदम है।

सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए भाजपा ने हाई-टेक उपायों पर जोर दिया है। फायर सेफ्टी के लिए 104 मीटर ऊंचे एरियल लैडर प्लेटफॉर्म की स्थापना, ड्रोन निगरानी प्रणाली का उपयोग और 107.60 मीटर ऊंची नई प्रशासनिक इमारत का निर्माण शहर को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। ये कदम न केवल आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करेंगे, बल्कि प्रशासनिक कार्यों को भी अधिक प्रभावी बनाएंगे।

पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को भी घोषणापत्र में विशेष स्थान दिया गया है। तापी नदी के किनारे रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट का विस्तार, डुमास बीच फेज-2 का विकास और नए थीम पार्क की स्थापना सूरत को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम प्रयास होंगे। इसके साथ ही धार्मिक परंपराओं और जीव कल्याण से जुड़ी योजनाओं को शामिल कर भाजपा ने सांस्कृतिक मूल्यों को भी महत्व देने का संकेत दिया है।

कुल मिलाकर Surat नगर निगम चुनाव 2026 के लिए भाजपा का यह घोषणापत्र विकास, तकनीक, शिक्षा, पर्यावरण और आधारभूत सुविधाओं के व्यापक विस्तार पर केंद्रित है। 'मिशन 120' का लक्ष्य यह दर्शाता है कि पार्टी इस चुनाव में बड़े जनादेश की उम्मीद कर रही है। हालांकि, चुनावी मैदान में अन्य दलों की रणनीतियां और जनता का अंतिम फैसला ही तय करेगा कि इन वादों को कितनी स्वीकृति मिलती है, लेकिन इतना निश्चित है कि इस घोषणापत्र ने सूरत की राजनीति को एक नई दिशा और नई बहस जरूर दे दी है।

सूरत एयरपोर्ट पर ईमानदारी की मिसाल, सीआईएसएफ ने लौटाया 1.5 लाख से भरा बैग; सतर्कता और पेशेवर जिम्मेदारी की सराहना

Surat के एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसने सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आम लोगों का भरोसा और मजबूत कर दिया। जहां एक ओर अक्सर हवाई अड्डों पर यात्रियों की भीड़ और जल्दबाजी के बीच सामान खो जाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, वहीं इस बार सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी Central Industrial Security Force (सीआईएसएफ) के जवानों ने अपनी सतर्कता और ईमानदारी से एक यात्री की बड़ी चिंता को कुछ ही समय में दूर कर दिया। घटना 16 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 7:30 बजे की है, जब सूरत एयरपोर्ट के घरेलू उड्डयन सुरक्षा जांच क्षेत्र (एसएचए) में एक हैंड बैग लावारिस अवस्था में पाया गया। आमतौर पर ऐसे मामलों में सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरतती हैं, क्योंकि किसी भी संदिग्ध वस्तु को लेकर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां मामला कुछ अलग निकला, जब जांच में यह सामने आया कि यह बैग किसी यात्री द्वारा गलती से वहीं छूट गया था।

सीआईएसएफ के कर्मियों ने बिना समय गंवाए तुरंत कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की और फिर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। तकनीक और अनुभव के संयोजन से उन्होंने कुछ ही समय में उस यात्री की पहचान कर ली, जो बैग छोड़कर आगे बढ़ गया था। जांच में पता चला कि बैग Pritesh Kansara नामक यात्री का है, जो उस समय अपनी फ्लाइट पकड़ने की जल्दी में था।

बताया गया कि Pritesh Kansara फ्लाइट संख्या 6E-6399 से Delhi के लिए यात्रा कर रहे थे। इस बीच उन्हें शायद यह अहसास भी नहीं हुआ कि उनका हैंड बैग सुरक्षा जांच क्षेत्र में ही छूट गया है। बैग की जब जांच की गई तो उसमें करीब 1.5 लाख

की नकदी पाई गई, जो किसी भी यात्री के लिए बड़ी रकम होती है और इसके खो जाने पर भारी परेशानी खड़ी हो सकती थी।

सीआईएसएफ टीम ने पूरी प्रक्रिया को बेहद व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया। यात्री की पहचान सुनिश्चित करने के बाद उनसे संपर्क स्थापित किया गया और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद बैग को पूरी सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ उसके असली मालिक को सौंप दिया गया। इस दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि बैग में मौजूद हर वस्तु सही सलामत हो।

जब Pritesh Kansara को उनका बैग वापस मिला, तो उन्होंने राहत की सांस ली और सीआईएसएफ कर्मियों की ईमानदारी, तत्परता और पेशेवर कार्यशैली की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि आज के समय में इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं, जहां इतनी बड़ी रकम बिना किसी नुकसान के वापस मिल जाए। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी वजह से एक बड़ी चिंता टल गई।

सीआईएसएफ अधिकारियों ने भी इस मौके पर कहा कि एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि उनके जवान हर परिस्थिति में सतर्क रहते हैं और इस तरह की घटनाओं में त्वरित कार्रवाई कर यात्रियों की मदद करना उनकी ड्यूटी का हिस्सा है। यह घटना उसी जिम्मेदारी और समर्पण का उदाहरण है।

यह पूरा घटनाक्रम न केवल सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सही प्रशिक्षण, तकनीक का उपयोग और ईमानदारी मिलकर किस तरह एक सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। जहां एक ओर कई बार लोगों के मन में यह डर रहता है कि खोया हुआ सामान शायद ही वापस मिल पाए, वहीं इस घटना ने यह विश्वास मजबूत किया है कि जिम्मेदार संस्थाएं आज भी अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभा रही हैं।

Surat एयरपोर्ट पर हुई यह घटना एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आई है, जो यह संदेश देती है कि ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा आज भी जीवित हैं। ऐसे छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्य ही समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करते हैं, और यही किसी भी सशक्त व्यवस्था की पहचान होती है।

दहेज के आरोप में लेक्चरर सस्पेंड, पत्नी की शिकायत बनी कार्रवाई का आधार; विभागीय नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

राजस्थान के सवाई माधोपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने न केवल शिक्षा विभाग को कठोर कदम उठाने पर मजबूर किया, बल्कि सरकारी सेवा में पारदर्शिता और नैतिकता को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दहेज लेने और विभाग को गलत जानकारी देने के आरोप में राजनीति विज्ञान के लेक्चरर Deepak Kumar Sharma को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनकी पत्नी Vandana Sharma द्वारा दर्ज कराए गए दहेज प्रताड़ना के मामले और विभागीय जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है।

यह पूरा मामला सवाई माधोपुर के कुंडेरा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां Vandana Sharma ने 10 जुलाई 2025 को अपने पति Deepak Kumar Sharma के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इसके समानांतर शिक्षा विभाग ने भी इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आंतरिक जांच शुरू कर दी थी। जांच में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने विभाग को तत्काल कार्रवाई करने के लिए बाध्य कर दिया।

शिक्षा विभाग के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले कि Deepak Kumar Sharma द्वारा विवाह के दौरान दहेज लेने की बात पहली नजर में सही प्रतीत होती है। यह तथ्य इसलिए और गंभीर हो

जाता है क्योंकि सरकारी सेवा में नियुक्ति के समय प्रत्येक कर्मचारी को यह शपथ-पत्र देना अनिवार्य होता है कि उसने अपने विवाह में किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया है।

Deepak Kumar Sharma ने भी 1 मार्च 2024 को अपनी नियुक्ति के समय ऐसा ही एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि 3 मई 2023 को हुए अपने विवाह में उन्होंने कोई दहेज नहीं लिया। लेकिन बाद में उनकी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मामले और विभागीय जांच में सामने आए तथ्यों ने इस शपथ-पत्र की सत्यता पर सवाल खड़े कर दिए।

इसी आधार पर माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर के निदेशक Sitaram Jat ने 9 अप्रैल को Deepak Kumar Sharma को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए। विभाग का स्पष्ट मत है कि यदि कोई कर्मचारी सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी देता है, तो यह सेवा नियमों का गंभीर उल्लंघन है और इसके लिए कठोर कार्रवाई जरूरी है।

Deepak Kumar Sharma वर्तमान में भवानीमंडी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजनीति विज्ञान के लेक्चरर के पद पर कार्यरत थे। उनकी पहली नियुक्ति 2 मार्च 2024 को इसी विद्यालय में हुई थी और तब से वे वहीं पदस्थापित थे। लेकिन अब निलंबन आदेश के बाद उन्हें Churu स्थित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कार्यालय में अटैच कर दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उन्हें बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार उन्हें भत्ता भी दिया जाएगा। हालांकि यह केवल प्रारंभिक कार्रवाई है और विभाग ने स्पष्ट किया है कि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। जांच के अंतिम निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

दूसरी ओर, दहेज प्रताड़ना से जुड़ा आपराधिक मामला न्यायालय में लंबित है, जहां इस मामले का अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा। यदि अदालत में आरोप सिद्ध होते हैं, तो Deepak Kumar Sharma के खिलाफ और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों और सरकारी सेवा में ईमानदारी की आवश्यकता पर भी एक बड़ा संदेश देता है। जहां एक ओर सरकारें दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त कानून बना रही हैं, वहीं ऐसे मामलों का सामने आना यह दर्शाता है कि सामाजिक स्तर पर अभी भी इस बुराई को खत्म करने की आवश्यकता बनी हुई है। साथ ही, यह घटना यह भी स्पष्ट करती है कि सरकारी सेवा में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी न केवल व्यक्ति के करियर को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती है। ऐसे में यह कार्रवाई एक चेतावनी के रूप में देखी जा रही है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

सूरत में नकली घी का बड़ा खेल उजागर, सचिन GIDC में छापा; हजारों किलो मिलावटी माल और लाखों की नकदी जब्त

Surat में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसने शहर की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की टीम ने सचिन GIDC क्षेत्र में छापेमारी कर एक ऐसी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, जहां बड़े पैमाने पर नकली घी तैयार कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। 'सबका फूड्स' नाम से संचालित इस यूनिट में मिलावट का यह खेल इतने संगठित तरीके से चल रहा था कि पहली नजर में इस पर शक करना भी मुश्किल था।

जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए, वे बेहद चौंकाने वाले हैं। आरोपियों ने असली देसी घी का भ्रम पैदा करने के लिए बेहद चालाकी से मिलावट की तकनीक अपनाई थी। मात्र एक किलो शुद्ध घी में वनस्पति घी, पामोलिन तेल और केमिकल एसेंस मिलाकर करीब 15 किलो तक नकली घी तैयार किया जाता था। इस मिश्रण में रंग और खुशबू इस तरह मिलाई जाती थी कि आम उपभोक्ता के लिए असली और नकली में फर्क करना लगभग असंभव हो जाता था। यही कारण है कि यह मिलावटी घी लंबे समय से बाजार में बिना किसी संदेह के बिक रहा था।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 2000 किलो से अधिक संदिग्ध घी बरामद किया, जिसकी कीमत लाखों रुपये

आंकी जा रही है। इसके अलावा फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही मशीनरी, बड़ी मात्रा में पैकेजिंग सामग्री, ब्रांडेड स्टिकर और अलग-अलग आकार के कंटेनर भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने करीब 35.81 लाख रुपये की नकदी भी बरामद की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कारोबार बड़े स्तर पर और काफी समय से चल रहा था। यह नकली घी 'विदुर' ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जा रहा था और इसकी सप्लाई केवल Surat तक सीमित नहीं थी, बल्कि गुजरात के अन्य जिलों और कई दूसरे राज्यों तक फैली हुई थी। पैकेजिंग की बात करें तो इसे 100 एमएल के छोटे पाउच से लेकर 15 किलो के बड़े कैन तक विभिन्न रूपों में तैयार किया जाता था, ताकि हर वर्ग के उपभोक्ता तक इसे आसानी से पहुंचाया जा सके।

मामले में दो मुख्य आरोपियों—Bharat Polara और Amin Vadhwaniya—के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने मजदूरों की मदद से इस पूरे नेटवर्क को खड़ा किया था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने अपने कारोबार को वैध दिखाने के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस भी हासिल कर रखा था, जिससे प्रशासन और ग्राहकों दोनों को गुमराह किया जा सके। यह पहलू इस मामले को और गंभीर बना देता है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया का भी दुरुपयोग किया गया।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने तत्काल फूड एंड ड्रग्स विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया, जिन्होंने संदिग्ध घी के सैंपल लेकर उन्हें लैब जांच के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस तरह के मिलावटी घी का लंबे समय तक सेवन करने से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसमें इस्तेमाल किए गए केमिकल और घटिया तेल हृदय रोग, लीवर की समस्या और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि यह केवल एक फैक्ट्री तक सीमित मामला नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा सप्लाई नेटवर्क सक्रिय हो सकता है, जो विभिन्न शहरों और राज्यों तक फैला हुआ है।

यह घटना न केवल प्रशासन के लिए एक चुनौती है, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी एक चेतावनी है कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय सतर्क रहें। सस्ते दाम या आकर्षक पैकेजिंग के पीछे छिपे ऐसे मिलावटी उत्पाद स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। वहीं, प्रशासन के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह खाद्य सुरक्षा मानकों को और सख्ती से लागू करे तथा समय-समय पर ऐसे छापे मारकर मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करे।

कुल मिलाकर, Surat में सामने आया यह मामला यह दर्शाता है कि मिलावटखोरी का जाल कितना गहरा और संगठित हो सकता है। अब देखना होगा कि जांच आगे क्या नए खुलासे करती है और प्रशासन इस पूरे नेटवर्क को किस हद तक ध्वस्त कर पाता है।

क्रूड ऑयल वायदा 60 रुपये लुढ़का: सोना वायदा में 472 रुपये और चांदी वायदा में 979 रुपये की वृद्धि

मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 286067.7 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 19707.83 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 266359.65 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 37302 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2460.49 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 12899.21 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 154651 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 154990 रुपये और नीचे में 154129 रुपये पर पहुंचकर, 153948 रुपये के पिछले बंद के सामने 472 रुपये या 0.31 फीसदी बढ़कर 154420 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 387 रुपये या 0.32 फीसदी की मजबूती के साथ 123111 रुपये प्रति 8 ग्राम बोला गया। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 47 रुपये या 0.31 फीसदी की मजबूती के साथ 15428 रुपये प्रति 1 ग्राम बोला गया। सोना-मिनी मई वायदा सत्र के आरंभ में 153011 रुपये के भाव पर खूलकर, 153400 रुपये के दिन के उच्च और 152639 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 581 रुपये या 0.38 फीसदी की मजबूती के साथ 153000 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 153500 रुपये के भाव पर खूलकर, 153558 रुपये के दिन के उच्च और 152900 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 152729 रुपये के पिछले बंद के सामने 489 रुपये या 0.32 फीसदी की मजबूती के साथ 153218 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 255500 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 255735 रुपये और नीचे में 251832 रुपये पर पहुंचकर, 251742 रुपये के पिछले बंद के सामने 979 रुपये या 0.39 फीसदी की तेजी के संग 252721 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 1312 रुपये या 0.52 फीसदी

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 19707.83 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 266359.65 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 12899.21 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 37302 पॉइंट के स्तर पर

की तेजी के संग 253994 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 1388 रुपये या 0.55 फीसदी की बढ़त के साथ 253999 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

मेटल वर्ग में 3592.48 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 80 पैसे या 0.06 फीसदी चढ़कर 1273.8 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 3.25 रुपये या 0.96 फीसदी की मजबूती के साथ 341.5 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 4.7 रुपये या 1.27 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 374.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 90 पैसे या 0.46 फीसदी के सुधार के साथ 195.7 रुपये प्रति किलो बोला गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3176.32 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 8560 रुपये के भाव पर खूलकर, 8685 रुपये के दिन के उच्च और 8536 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 60 रुपये या 0.7 फीसदी गिरकर 8548 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 59 रुपये या 0.69 फीसदी की गिरावट के साथ 8546 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा 243.5 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 247.1 रुपये और नीचे में 243 रुपये पर पहुंचकर, 244.6 रुपये के पिछले बंद के सामने 10 पैसे या 0.04 फीसदी चढ़कर 244.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा बिना बदलाव के 244.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 984.1 रुपये के भाव पर खूलकर, 20 पैसे या 0.02 फीसदी चढ़कर 985.1 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 7009.87 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 5889.33 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2524.86 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 696.89 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 16.62 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 330.66 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 2129.79 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1018.89 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 2.45 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 1.06 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9012 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 54890 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26521 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 366020 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 60448 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7440 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 21170 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 84006 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 18125 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 50633 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 37306 पॉइंट पर खूलकर, 37306 के उच्च और 37302 के नीचले स्तर को छूकर, 170 पॉइंट बढ़कर 37302 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 8600 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 99.4 रुपये की गिरावट के साथ 63 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 85 पैसे की नरमी के साथ 5 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 89.5 रुपये की गिरावट के साथ 1053 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 169.5 रुपये की गिरावट के साथ 241 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.78 रुपये की गिरावट के साथ 6.14 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 335 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.93 रुपये की बढ़त के साथ 9 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 8500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 37.7 रुपये की गिरावट के साथ 74.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 240 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 65 पैसे की नरमी के साथ 4.95 रुपये हुआ। सोना अप्रैल 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 163.5 रुपये की गिरावट के साथ 537.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 220000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 493 रुपये की गिरावट के साथ 510 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.08 रुपये की गिरावट के साथ 4.1 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 47 पैसे की नरमी के साथ 5.28 रुपये हुआ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में गुजरात वाणिज्य एवं उद्योग मंडल आयोजित तीन दिवसीय एनुअल ट्रेड एक्सपो का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन से गुजरात ट्रेड एंड ट्रेडिशन, कॉमर्स एंड कल्चर तथा इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप के समन्वय से डेवलपमेंट का रोल मॉडल बना है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- देश की जीडीपी में गुजरात 8.3 प्रतिशत, इंडस्ट्रियल आउटपुट में 18 प्रतिशत तथा एक्सपोर्ट में 31 प्रतिशत योगदान देता है
- 'गुजरात विजन-ग्लोबल एम्बिशन' थीम के साथ आयोजित हो रहा गेट-2026 एक्सपो एमएसएमई तथा युवा उद्यमियों के लिए लोकल से ग्लोबल का प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (जीसीसीआई) के गांधीनगर में आयोजित द्वितीय वार्षिक ट्रेड एक्सपो का गुरुवार को उद्घाटन करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन से गुजरात ट्रेड एंड ट्रेडिशन, कॉमर्स एंड कल्चर तथा इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप के समन्वय से डेवलपमेंट का रोल मॉडल बना है।

जीसीसीआई द्वारा गांधीनगर स्थित एग्जीबिशन सेंटर में 18000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में 16 से अधिक विभिन्न सेक्टर्स के स्टॉल्स के साथ आयोजित एनुअल ट्रेड एक्सपो में ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी, फार्मास्युटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा एआई एवं साइबर सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस गुजरात एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी एक्सपो (गेट)-2026 का 16 से 18 अप्रैल तक आयोजन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 'गुजरात विजन-ग्लोबल एम्बिशन' थीम के साथ आयोजित हो रहा यह एक्सपो एमएसएमई तथा युवा उद्यमियों के लिए लोकल से ग्लोबल का प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई वाइब्रेंट समिट की उत्तरोत्तर सफलता से गुजरात ग्लोबल गेटवे टू द फ्यूचर बना है। पॉलिसी ड्रिवन स्टेट के रूप में गुजरात की जो ख्याति है, उसमें पॉलिसी मेकिंग के लिए ग्राउंड रिपोर्ट तथा फीडबैक देने का महत्वपूर्ण कार्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता है। इसके अलावा; वाइब्रेंट समिट के आयोजन से लेकर एग्जीक्यूशन में भी जीसीसीआई राज्य सरकार के साथ रहा है। मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाकर मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड का प्रधानमंत्री ने जो ध्येय रखा है; उसे गुजरात ग्रीन ग्रोथ, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स में लीड लेकर साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में गुजरात 8.3 प्रतिशत, इंडस्ट्रियल आउटपुट में 18 प्रतिशत तथा एक्सपोर्ट में 31 प्रतिशत योगदान देता है। विकसित भारत के निर्माण की संकल्प सिद्धि के लिए अर्निंग वेल-लिविंग वेल के मंत्र के साथ विकसित गुजरात-2047 रोडमैप तैयार करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। उन्होंने गुजरात की विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों का विवरण दिया।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत-2047 का जो आह्वान किया है, उसे जीसीसीआई राज्य सरकार के साथ सहयोग कर गुजरात की क्षमताओं को विश्व स्तर पर विकसित कर पूरा करेगा। उन्होंने ट्रेड एक्सपो की इस दूसरी कड़ी की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर टोरेंट पावर लिमिटेड के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जिनल मेहता ने कहा कि हाल में जब वैश्विक जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता चल रही है, तब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण कर एक नई दिशा दी जा रही है। गुजरात सरकार भी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सहभागी होकर उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य में जीसीसीआई द्वारा उद्योगों को उल्लेखनीय सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने इसके अलावा; वॉइस ऑफ ग्लोबल डोमिनेंस, क्वॉलिटी ऑपरेशन, बेंचमार्क, सप्लाई चेन तथा स्ट्रैटेजिक अलायंस के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर जीसीसीआई अध्यक्ष श्री संदीप इंजीनियर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में आयोजित यह कार्यक्रम गुजरात के औद्योगिक विकास तथा 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रदर्शनी में लगभग 610 एग्जीबिटर्स का पंजीकरण किया गया है। इसके अलावा; 30 हजार से अधिक आगंतुकों ने पंजीकरण कराया है और यह संख्या 50 हजार तक पहुँचने की संभावना है।

इस कार्यक्रम में गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, क्रेडाई नेशनल के अध्यक्ष श्री शेखर पटेल, जीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेश गांधी, एडीसी बैंक के अध्यक्ष श्री अजय पटेल, जीसीसीआई के सचिव श्री सुधांशु मेहता जैसे अग्रणी सहित बड़ी संख्या में उद्योग जगत से जुड़े उद्यमी उपस्थित रहे।

कॉलेज की फीस बकाया होने के बावजूद छात्र के मूल प्रमाण पत्र रोके नहीं जा सकते: उच्च न्यायालय का फैसला

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। हैदराबाद स्थित तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि कोई भी निजी शिक्षण संस्थान बकाया शुल्क की वसूली के लिए छात्र के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र को अपने पास नहीं रख सकता है।

अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मूल प्रमाण पत्र छात्र की निजी और शैक्षणिक संपत्ति हैं और किसी भी संस्थान को इन्हें अपने पास रखने का अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति जुवादी श्रीदेवी की एकल न्यायाधीश पीठ ने हैदराबाद के सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के खिलाफ सी. मुरलीधर नामक छात्र द्वारा दायर एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने कहा, "भले ही कॉलेज पर छात्र की फीस बकाया हो, मूल प्रमाण पत्रों को रोककर फीस वसूलना उचित नहीं है। यदि कॉलेज पर कोई बकाया है, तो उसे वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही का सहारा लेना चाहिए।" मामले के विवरण के अनुसार, याचिकाकर्ता छात्र ने बी.टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया था और उस समय उसने अपने मूल दस्तावेज जैसे एसएससी इंटरमीडिएट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र और बोनाफाइड प्रमाण पत्र कॉलेज में जमा किए थे।

कॉलेज में दाखिला लेने के महज 15 दिन बाद वरिष्ठ छात्रों से झड़प और उसके बाद हुई एक दुखद घटना के चलते छात्र ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। जब उसने अपने दस्तावेज़ वापस मांगे, तो कॉलेज ने उसका आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया और शेष तीन साल की फीस की मांग की। छात्र के वकील ने तर्क दिया कि ये प्रमाण पत्र छात्र के लिए रोजगार पाने और जीविका कमाने के लिए आवश्यक थे। अदालत ने इस तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि यह निर्विवाद है कि छात्र ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अदालत ने कॉलेज द्वारा दस्तावेज़ों को रोके रखने को "पूरी तरह से अनुचित" बताया और कॉलेज को आदेश दिया कि वह सभी मूल प्रमाण पत्र तुरंत छात्र को लौटा दे।

खून से लिखी बहादुरी की दास्तान: 44 साल बाद मिला उस वीर सिपाही को सम्मान, जिसने दोनों हाथ कटने पर भी नहीं छोड़ा फर्ज

राजस्थान की धरती वीरों की कहानियों से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय की धूल में दब जाती हैं और फिर अचानक सामने आकर पूरे समाज को झकझोर देती हैं। Banswara जिले के एक साधारण से गांव चितरोडिया में जन्मे Mansingh की कहानी भी ऐसी ही एक अद्भुत गाथा है, जो न केवल साहस की पराकाष्ठा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कर्तव्य के आगे जीवन भी छोटा पड़ जाता है।

3 मार्च 1982 की वह रात आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन लंबे समय तक यह केवल फाइलों में कैद रही। उस समय Mansingh घाटोल चौकी पर तैनात थे, जो थाना खमेरा के अंतर्गत आती थी। आधी रात का सन्नाटा था, जब सूचना मिली कि Bank of Baroda की शाखा में 8 से 10 हथियारबंद डकैत घुस आए हैं। यह वह क्षण था, जहां एक साधारण सिपाही भी इंतजार कर सकता था—बैकअप का, मदद का, या आदेश का। लेकिन Mansingh ने जो चुना, वह उन्हें असाधारण बना गया।

वे अकेले ही डकैतों का सामना करने निकल पड़े। न कोई डर, न कोई हिचक—सिर्फ एक भावना, 'फर्ज'। जैसे ही वे बैंक के करीब पहुंचे, उन्होंने बिना समय गंवाए एक डकैत को दबोच लिया। यह देखकर बाकी डकैत बौखला गए और उन्होंने तलवारों से उन पर हमला कर दिया। वार इतने भयानक थे कि संघर्ष के दौरान Mansingh के दोनों हाथ शरीर से अलग हो गए। यह एक ऐसा दृश्य था, जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असहनीय दर्द, खून से लथपथ शरीर और जीवन के अंतिम क्षणों के बावजूद Mansingh पीछे नहीं हटे। उनका साहस इतना प्रबल था कि निहत्थे और घायल होने के बावजूद उन्होंने डकैतों के सामने घुटने नहीं टेके। यह दृश्य देखकर डकैतों के हौसले टूट गए। उन्हें समझ आ गया कि इस वीर को हराना आसान नहीं है। अंततः वे बैंक लूटे बिना ही वहां से भाग खड़े हुए।

उस रात बैंक की संपत्ति तो बच गई, लेकिन राजस्थान पुलिस ने अपना एक अनमोल सिपाही खो दिया। Mansingh ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह साबित कर दिया कि सच्चा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटता।

उनकी शहादत के बाद परिवार पर जो बीती, वह भी कम दर्दनाक नहीं थी। उनके छोटे बेटे Karan Singh बताते हैं कि पिता की मौत का सदमा परिवार झेल नहीं पाया। महज दो महीने के भीतर छोटी बहन का निधन हो गया और फिर जून 1982 में मां नारायण कुंवर भी इस सदमे को सहन नहीं कर सकीं। कुछ ही महीनों में एक पूरा परिवार बिखर गया। 5 और 7 साल की उम्र में Karan Singh और उनके बड़े भाई दिगपाल सिंह अनाथ हो गए। इसके बाद उनके मामा नरपत सिंह ने उन्हें संभाला और जीवन की राह दिखाई।

समय बीतता गया, लेकिन Mansingh की बहादुरी की कहानी सरकारी फाइलों में दबकर रह गई। यह एक विडंबना थी कि जिस वीर ने अपने अंग कटवाकर बैंक और लोगों की सुरक्षा की, उसे वह पहचान नहीं मिली, जिसका वह हकदार था।

दृष्टि नहीं, हौसलों की रोशनी: वडोदरा की गौरी ने 93.3% अंकों के साथ रचा प्रेरणा का नया अध्याय

वडोदरा से आई एक प्रेरणादायक कहानी ने यह साबित कर दिया है कि जीवन में सफलता पाने के लिए आंखों की रोशनी नहीं, बल्कि मन के भीतर का उजाला और मजबूत इरादे सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जन्म से दृष्टिहीन होने के बावजूद संकुल स्कूल की छात्रा Gauri Yogiraj Shardul ने CBSE कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 93.3 प्रतिशत अंक हासिल कर एक ऐसा इतिहास रच दिया है, जो न केवल उनके परिवार और स्कूल के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया है।

Gauri Yogiraj Shardul की इस सफलता के पीछे संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की एक लंबी कहानी छिपी है। उनका जीवन बचपन से ही चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी दृष्टिहीनता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। महज ढाई साल की उम्र में उन्होंने दीपक फाउंडेशन द्वारा संचालित संकुल स्कूल में प्रवेश लिया, जहां से उनके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हुई। स्कूल ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें वह मंच और संसाधन दिए, जिनकी मदद से वे अपने सपनों की ओर बढ़ सकीं।

शुरुआती दिनों में ही Gauri Yogiraj Shardul ने ब्रेल लिपि सीख ली और धीरे-धीरे सहायक तकनीकों का उपयोग भी सीख लिया। इन तकनीकों ने उनके लिए पढ़ाई के नए दरवाजे खोल दिए। जहां सामान्य छात्र किताबों और नोट्स के जरिए पढ़ते हैं, वहीं गौरी ने अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप अध्ययन के तरीके विकसित किए। उन्होंने हर विषय को समझने के लिए अतिरिक्त मेहनत की और अपने शिक्षकों से लगातार मार्गदर्शन लिया।

इस पूरी यात्रा में स्कूल के प्राचार्य Bharat Vaya और शिक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। उन्होंने न केवल गौरी को शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी सशक्त किया। शिक्षकों ने हमेशा उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे किसी भी अन्य छात्र से कम नहीं हैं। यही विश्वास गौरी की सबसे बड़ी ताकत बन गया।

Gauri Yogiraj Shardul की खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी जिज्ञासा और सीखने की ललक को कभी कम नहीं होने दिया। वे हर विषय को गहराई से समझना चाहती थीं और इसके लिए घंटों तक मेहनत करती थीं। उनकी इसी लगन का परिणाम है कि उन्होंने बोर्ड परीक्षा में 93.3 प्रतिशत जैसे शानदार अंक हासिल किए।

गौरी का सपना यहीं खत्म नहीं होता। उनका लक्ष्य देश के प्रतिष्ठित Indian Institutes of Technology में प्रवेश पाना है। वे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं और अपनी क्षमताओं के बल पर एक नई पहचान बनाना चाहती हैं। उनके आत्मविश्वास और समर्पण को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वे अपने इस लक्ष्य को भी जरूर हासिल करेंगी।

उनकी सफलता यह भी दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन और संसाधन मिलने पर कोई भी छात्र अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। यह केवल गौरी की व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि यह उन सभी छात्रों के लिए एक संदेश है, जो किसी न किसी कारण से खुद को कमजोर समझते हैं। गौरी ने यह साबित कर दिया है कि असली बाधा शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक होती है, और यदि मन मजबूत हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।

स्कूल प्रशासन और उनके मेंटर्स भी उनकी इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि गौरी ने कभी भी अपनी स्थिति को अपनी प्रगति के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया और खुद को लगातार बेहतर बनाती रहीं। यही दृष्टिकोण उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। आज Gauri Yogiraj Shardul की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, जो जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहा है। उनकी यह सफलता यह सिखाती है कि यदि हमारे पास मजबूत इच्छाशक्ति, सही दिशा और निरंतर प्रयास हो, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।

सूरत के मिलेनियम मार्केट में भीषण आग से मचा हड़कंप, 'ब्रिगेड कॉल' घोषित; कई दुकानों को भारी नुकसान

टेक्सटाइल नगरी सूरत में एक बार फिर आग की भयावह घटना ने व्यापारियों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार, 16 अप्रैल को रिंग रोड स्थित मिलेनियम मार्केट-1 में अचानक लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। आग की तीव्रता को देखते हुए फायर विभाग ने तुरंत इसे 'ब्रिगेड कॉल' घोषित कर दिया, जो किसी भी आगजनी की गंभीरता को दर्शाता है। इस घटना में तीन कपड़ा दुकानों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आग की शुरुआत मार्केट के पहले तल पर स्थित वैष्णवी क्रिएशन्स नामक दुकान से हुई, जो दुकान नंबर 69 से 71 के बीच स्थित है। शुरुआत में यह आग सीमित दायरे में थी, लेकिन दुकानों में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील कपड़ा सामग्री होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते पास की दो अन्य दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। कुछ ही मिनटों में पूरे मार्केट परिसर में काले धुएं का घना गुबार छा गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।

घटना के तुरंत बाद मार्केट में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए एहतियातन बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। इस दौरान कई व्यापारी अपनी दुकानों से सामान बचाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन आग की तेजी के सामने उनकी कोशिशें सीमित ही रह गईं। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, धुएं की मात्रा इतनी अधिक थी कि कुछ समय के लिए दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी।

आग लगने की सूचना मिलते ही सूरत फायर ब्रिगेड ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शहर के सात अलग-अलग फायर स्टेशनों से 14 से अधिक दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर रवाना किया। ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए पुलिस ने तत्काल ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दमकल वाहनों को तेजी से मौके तक पहुंचाया, जिससे राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई जा सकी। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

चीफ फायर ऑफिसर बसंत पारीख के अनुसार, दोपहर 12 बजकर 48 मिनट पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब दमकल टीम मौके पर पहुंची, तब तक आग काफी फैल चुकी थी और पूरा मार्केट धुएं से भरा हुआ था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत 'ब्रिगेड कॉल' जारी किया गया और अतिरिक्त संसाधनों को मौके पर बुलाया गया। दमकल विभाग की तत्परता और समन्वय के कारण आग को अन्य हिस्सों में फैलने से रोक लिया गया।

प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, हालांकि इसकी विस्तृत जांच अभी जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि कपड़ा बाजारों में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री होने के कारण इस तरह की घटनाएं अधिक खतरनाक हो जाती हैं और थोड़ी सी चूक भी बड़े हादसे का रूप ले सकती है।

इस घटना ने एक बार फिर सूरत के टेक्सटाइल मार्केट्स में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी रिंग रोड क्षेत्र में अभिषेक टेक्सटाइल मार्केट के पीछे स्थित नगर निगम की मल्टी-लेवल पार्किंग में एक कार में आग लगने की घटना सामने आई थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से व्यापारियों और आम लोगों में चिंता का माहौल है।

फिलहाल, आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस हादसे ने व्यापारियों को आर्थिक रूप से बड़ा झटका दिया है। कई दुकानों में रखा महंगा कपड़ा और अन्य सामान जलकर खाक हो गया है, जिससे लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे आग लगने के सटीक कारणों का पता चल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

ट्रैक नवीनीकरण कार्य हेतु लेवल क्रॉसिंग संख्या 111 (पीपली–वराही) पर सड़क यातायात 12 दिनों तक अस्थायी रूप से बंद रहेगा

अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत रेल संरक्षा एवं अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण के तहत पीपली–वराही खंड पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 111 (रेल किलोमीटर 128/2-3) पर ट्रैक नवीनीकरण कार्य किया जाएगा, जिसके कारण सड़क यातायात को दिनांक 18 अप्रैल, 2026 को प्रातः 07:00 बजे से 29 अप्रैल, 2026 को रात्रि 22:00 बजे तक (कुल 12 दिन) अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा।

यात्रियों एवं सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अवधि के दौरान सड़क यातायात को पालनपुर-सामाख्याली रेल खंड पर स्थित स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 113 (रेल किलोमीटर 130/7-8) के माध्यम से डायवर्ट किया जाएगा।

ट्रैक नवीनीकरण कार्य के पूर्ण होने से रेल संरक्षा में वृद्धि होगी, दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी तथा ट्रेनों का संचालन अधिक सुचारु एवं समयबद्ध हो सकेगा, साथ ही ट्रैक की गुणवत्ता में सुधार से रखरखाव की आवश्यकता घटेगी और यात्रियों व सड़क उपयोगकर्ताओं को अधिक सुरक्षित एवं बेहतर सुविधा प्राप्त होगी।

रेलवे प्रशासन द्वारा आम जनता से अपील की जाती है कि वे उक्त अवधि में निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें तथा सहयोग प्रदान करें, जिससे कार्य सुचारु रूप से पूर्ण किया जा सके एवं किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

अतुल एवं वलसाड खंड के बीच मेमू ट्रेनें बहाल

अतुल एवं वलसाड स्टेशनों के बीच 15, 16 एवं 17 अप्रैल, 2026 को गर्डर डी-लॉन्चिंग कार्य हेतु लिए जाने वाले ब्लॉक के संबंध में पूर्व में जारी प्रेस विज्ञप्ति, जिसमें मेमू सेवाओं के निरस्तीकरण की सूचना दी गई थी, के संदर्भ में अब ट्रेन परिचालन व्यवस्था में संशोधन किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन परिचालन व्यवस्था में संशोधन के कारण अब मेमू ट्रेनों का निरस्तीकरण नहीं किया जाएगा। अतः ट्रेन संख्या 69153 उमरगाम रोड – वलसाड मेमू तथा ट्रेन संख्या 69154 वलसाड – उमरगाम रोड मेमू, जिन्हें पूर्व में निरस्त किया जाना प्रस्तावित था, अब पुनः बहाल कर दी गई हैं तथा ये मेमू ट्रेनें 17 अप्रैल, 2026 से अपने निर्धारित समयानुसार चलेंगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त जानकारी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। ट्रेनों के समय की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया NTES की वेबसाइट या ऐप का उपयोग करें।

पश्चिम रेलवे आखातीज के अवसर पर चलाएगी,बांद्रा टर्मिनस और पालीताना के बीच स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा आखातीज त्योहार के अवसर पर यात्रा मांग को पूरा करने के लिए बांद्रा टर्मिनस और पालीताना स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 09023/09024 बांद्रा टर्मिनस – पालीताना स्पेशल :

ट्रेन संख्या 09023 बांद्रा टर्मिनस – पालीताना स्पेशल शनिवार, 18 अप्रैल, 2026 को बांद्रा टर्मिनस से 14:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 05:00 बजे पालीताना पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09024 पालीताना – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल सोमवार, 20 अप्रैल, 2026 को पालीताना से 20:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, अंकलेश्वर, वडोदरा, अहमदाबाद, बोटाद, धोला, सोनगढ़ और सिहोर (गुजरात) स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09023 एवं 09024 की बुकिंग 17.04.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।